

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/275/2000-01 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री देवराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री देवराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	304 दिनांक 16.12.2000
(ग) जन्मतिथि	20.10.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	31.10.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	6550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(9300-34800 ग्रेड पे 5400)
(घ) वेतन	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	5417/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2166/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3251/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3308/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2166/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	31434/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1451 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/275/2000-01

दिनांक: 22/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वैब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, सामान्य परिचालन एवं रसायन खण्ड, 'स' ताप विद्युत गृह हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

पंजीकृत- 3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि०, कासिमपुर, अलीगढ़।

पंजीकृत- 4. श्री देवराज सिंह, से० नि० अवर अभियन्ता, निवासी: ग्राम व पोस्ट- कलाई, जिला-अलीगढ़।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4241/08-09 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुभाष माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुभाष माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3829 दिनांक 20.08.2008
(ग) जन्मतिथि	:	05.09.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज माथुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	04.10.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5787/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2314/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3473/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	56 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	59013/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2314/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63236/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या 1453 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4241/08-09
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, क्षेत्रीय विद्युत भार नियन्त्रणालय, 400 के०वी० उपकेंद्र परिसर मझोला, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री सुभाष माथुर, से०नि० अवर अभियन्ता, 3सी/306, बुद्धि बिहार आवास विकास, कालोनी, देहली रोड, मझोला, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1454/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2304/05-06 दिनांक: 28/10/18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भुवन चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भुवन चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	: 2570 दिनांक 09.12.2005
(ग) जन्मतिथि	: 16.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती पूर्णिमा जोशी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 12.09.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रेड पे0 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 6717/-
(घ) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2686/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4031/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2686/-
(व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 65811/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2304/05-06 दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, क्षेत्रीय विद्युत भार नियन्त्रणालय, 400 के०वी० उपकेंद्र परिसर मझोला, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री भुवन चन्द्र जोशी, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-96-दीन दयाल नगर, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4771 / 11-12

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बैजनाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बैजनाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4491 दिनांक 20.08.2011
(ग) जन्मतिथि	:	06.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती तारावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.02.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2011
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (9300-34800 ग्रेड पे 5400)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (9300-34800 ग्रेड पे 5400)
 (घ) वेतन : 30660/-
 (ङ) मूल पेंशन : 15030/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6012/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9018/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 9018/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 66 छमाही
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 80200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 40100/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : -
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6012/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 34088/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 24060/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1455 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4771 / 11-12
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, फैजाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम फैजाबाद।
4. श्री बैज नाथ सिंह से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-खानपुर, जिला-फैजाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(लेखाधिकारी पेंशन)
कारपोरेशन अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 3016/07-08

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० कलीम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० कलीम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3258 दिनांक 05.06.2007
(ग) जन्मतिथि	:	02.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती जरीना खातून
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(37400-67900 ग्रे०पी० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67900 ग्रे०पी० 8900)
(घ) वेतन	:	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9694/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3877/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5817/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	9694/-
(झ) पारिवारिक पेंशन संधारण दर पर	:	5817/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3877/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67773/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (संधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1456 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 3016/07-08
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 22/10/18

- अधिसारी अभियन्ता, डेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री मो० कलीम, से०नि० अवर अभियन्ता, कुदरत बिहार सरोजनी नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2010 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बागपत।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विनोद चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2185 दिनांक 05.05.2005
(ग) जन्मतिथि	04.11.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	29.12.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7568/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3027/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4541/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमैटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3027/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66523/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 186/1457 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2010 / 04-05

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत बागपत को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री विनोद चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 8/77, शिवपुरी, गली नं० 3, निवाड़ी रोड, मोदी नगर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

दिनांक: 22/10/18

(मदन बिहारी वर्मा) 14/10

लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य विद्युत अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2145/04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रेम नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2229 दिनांक 06.06.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6414/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2565/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3849/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2565/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66985/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या 1459 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2145/04-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री प्रेम नाथ मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 149 पश्चिम बिहार, पतौरा मोड़, मोहान रोड, काकोरी, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4669 / 10-11

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बृज कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बृज कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4290 दिनांक 22.01.2011
(ग) जन्मतिथि	:	12.06.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अरुणा तिवारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.05.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेनैटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	155900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	77950/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	:	77950/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	:	67928/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	77950/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	46770/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1460/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4669/10-11

दिनांक: 22/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री बृज कुमार तिवारी, से०नि० अवर अभियन्ता, 66, पश्चिम बिहार कालोनी, मोहान रोड लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 377 / 2000-04

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हबीबुल्लाह खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हबीबुल्लाह खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	348 दिनांक 03.02.2001
(ग) जन्मतिथि	08.10.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
31.10.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान
16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)
(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन
19550/-
(ङ) मूल पेंशन
6220/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग
2488/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
3732/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर
-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा
64 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पैमेटिक्स
13
(ख) निर्धारित वेतन
139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)
69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में
67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)
67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन
2488/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये
64955/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)
-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)
-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1461 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 377 / 2000-01
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 22/10/18

पंजीकृत-

पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपनिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को सेवापुरिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री हबीबुल्लाह खान, सं०नि० अवर अभियन्ता, अलीम उल्लह खान, मरिजद के पास, जयराजपुरी, सरोजनी नगर, अर्वासी, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा) 22/10/18
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 5246 / 13-14

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4988 दिनांक 04.12.2013
(ग) जन्मतिथि	08.08.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बसंती दीक्षित
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(9300-34800 ग्रेड पे०-6600)
(घ) वेतन	34790/-
(ङ) मूल पेंशन	17395/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	17395/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17395/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10437/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	9
(ख) निर्धारित वेतन	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	45150/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	45150/-(08.08.2020 तक)
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या 1463 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 5246 / 13-14

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उपनिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित, सं०नि० अवर अभियन्ता, 45-विनय नगर, इन्दलोक कृष्णा नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी(पेंशन)

लेखाधिकारी(पेंशन)(हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1823/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रघुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रघुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1924 दिनांक 16.08.2004
(ग) जन्मतिथि	08.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन भटनागर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.03.2004
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान 16400-20000
- (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में) (37400-67000 ग्रेड पे०-8900)
- (घ) वेतन 20000/-
- (ङ) मूल पेंशन 6835/-
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग 2734/-
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 4101/-
- (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर -
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 4365/-
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 62 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
- (क) पैमेटिक्स 13
- (ख) निर्धारित वेतन 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
- (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 69550/-
- (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में 65335/-
- (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन 65550/-
- (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 65550/-
- (ङ) राशिकृत पेंशन 2734/-
- (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 62816/-
- (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) लागू नहीं
- (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 41730/-
- (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1823/04-05 दिनांक: 22/07/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड, मन्त्रालय मुरादाबाद को संकपुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
4. श्री रघुनाथ प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, मकान न०-डी०ई०-80, दीनदयाल नगर, फेज-प्रथम, एम०डी०ए० कालोनी मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(लेखाधिकारी पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 628 / 01-02

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कामेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कामेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

668 दिनांक 17.01.2002

(ग) जन्मतिथि

06.09.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रेनु खन्ना

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

05.07.1951

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

30.09.2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

16400-20000

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में)

(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)

(घ) वेतन

19550/-

(ङ) मूल पेंशन

6529/-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

2611/-

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

3918/-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

4170/-

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

62 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स

13

(ख) निर्धारित वेतन

139100/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

69550/-

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

65335/-

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत

लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

65550/-

(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक

01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

65550/-

(ङ) राशिकृत पेंशन

2611/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

62939/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730/-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा

संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में

शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का

उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक

आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 628 / 01-02

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, डेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड, मझौला मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।

4. श्री कामेश्वर प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, रस्तोगी धर्मशाला वाली गली, अमरोहा गेट, मुरादाबाद।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन

(मदन बिहारी वर्मा)

कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1188 / 03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओमदत्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओमदत्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1284 दिनांक 27.05.2003
(ग) जन्मतिथि	19.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मायावती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	6138/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2455/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3683/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2455/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	85045/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1188 / 03-04

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, 195-पटेल नगर मुजफ्फरनगर को सेवापुरिता का मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री ओमदत्त, सं०नि० अवर अभियन्ता, न०न० 408ए, फेस-3 सोमदत्त बिहार मेरठ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

दिनांक: 22/10/18

(मदन बिहारी वर्मा) 17/10/18
 (मदन बिहारी वर्मा)
 कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल) डिल

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1368 / 03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विजयवीर सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विजयवीर सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ संख्या एवं दिनांक	1434 दिनांक 12.09.2003
(ग) जन्मतिथि	07.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेडपे 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6950/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2780/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4170/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	6950/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2780/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66770/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1368 / 03-04

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरौहा, जे०पी० नगर, निकट 33/11 केवी उपकेंद्र-99 को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री विजयवीर सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, शिव कुटीर रानीबाग कालोनी डा० धमपुर, जिला-बिजनौर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

दिनांक: 22/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2733 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2949 दिनांक 01.09.2006
(ग) जन्मतिथि	:	02.04.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजेश्वरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11400/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4560/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6840/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4560/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67090/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1473 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2733 / 06-07

दिनांक: 22/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

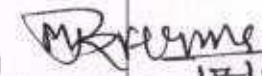
1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, निकट 33/11 के०वी० सब स्टेशन, कॉकर सराय रोड, अमरोहा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

पंजीकृत- 3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।

पंजीकृत- 4. श्री विजेन्द्र सिंह से०नि० अवर अभियन्ता, 3-बी/416, बुद्धि विहार, मझौला, मुरादाबाद।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 465 / 01-02

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शीतला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शीतला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	486 दिनांक 09.07.2001
(ग) जन्मतिथि	10.10.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधु श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.10.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.10.2000
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान 8550-13500
- (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (15600-39100 ग्रेड पे 5400)
- (घ) वेतन 10475/-
- (ङ) मूल पेंशन 4787/-
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग 1914/-
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 2873/-
- (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर लागू नहीं
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर लागू नहीं
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	10
(ख) निर्धारित वेतन	65000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	32500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	32500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	1914/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	30586/- दि० 08.07.2016 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	32500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	19500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 465 / 01-02 दिनांक: 22/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०९० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लेखा लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री शीतला प्रसाद, सं०नि० अवर अभियन्ता, सी० 48/1 पैपर मिल कालोनी निशात गंज लखनऊ।
5. सचिव, उ०९० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय लेखा अधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1732/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अजीत सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अजीत सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1817 दिनांक 05.06.2004
(ग) जन्मतिथि	02.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ता देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.07.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-57000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6038/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2415/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3623/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	6038/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2415/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63135/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो को भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1732/04-05 दिनांक 22/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, पैब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड, मझोला, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
4. श्री अजीत सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, एफ-20/बी-1 फेडस कालोनी, चन्दनगर, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1625 / 03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनमद्र।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रोशन जहाँ पत्नी स्व० नफीसुरहमान, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रोशन जहाँ पत्नी स्व० नफीसुरहमान, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

1718 दिनांक 07.04.2004

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रोशन जहाँ

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

23.08.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

16400-20000

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(37400-67000 ग्रेड पे 8900)

(घ) वेतन

20000/-

(ङ) मूल पेंशन

-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

-

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

-

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3878/-

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स

13

(ख) निर्धारित वेतन

139100/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

-

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

-

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

-

(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

-

(ङ) राशिकृत पेंशन

-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

-

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

41730/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आयोजित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1625 / 03-04

दिनांक: 22/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-तृतीय बंताप विद्युत गृह, ओबरा, ओबरा सोनमद्र को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा सोनमद्र।

4. श्रीमती रोशन जहाँ पत्नी स्व० नफीसुरहमान, अवर अभियन्ता, आवास सं० 4-तृतीय-13, ओबरा-सोनमद्र।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4070 / 07-08

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स

(ख) निर्धारित वेतन

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत

लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक

01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा

संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में

शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का

उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक

आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1479 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4070 / 07-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र० ज० वि० लि०, 195-पटेल नगर, मुजफ्फरनगर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, सं० नि० अवर अभियन्ता, 350 कम्बल वाला बाग नई मन्डी मुजफ्फरनगर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

दिनांक: 22/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6715/16-17

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दीपक कुमार बनर्जी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दीपक कुमार बनर्जी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5780 दिनांक 17.03.2017
(ग) जन्मतिथि	14.02.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रतिमा बनर्जी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.08.1962
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि : 28.02.2015
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान : -
- (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में) : (15600-39100 ग्रेड पे० 8600)
- (घ) वेतन : 28570 + 6600 = 35170
- (ङ) मूल पेंशन : 17585/-
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7034/-
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10551/-
- (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 17585/- 13.02.2020 तक
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10551/-
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिवर्तनीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
- (क) पेमेंटिक्स : 9
- (ख) निर्धारित वेतन : 93000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
- (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 46500/-
- (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
- (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
- (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500/-
- (ङ) राशिकृत पेंशन : 7034/-
- (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39466/-
- (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 46500/- दि० 13.02.2022 तक
- (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27900/-
- (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय:

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या 1481 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6715/16-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री दीपक कुमार बनर्जी, सं०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, एफ-1/10, सेक्टर-1, राजाजीपुरम्, लखनऊ-226017
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2874 / 06-07

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ बाजपेयी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक श्रेणी-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ बाजपेयी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक श्रेणी-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3114 दिनांक 28.12.2006
(ग) जन्मतिथि	15.11.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुन्दरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि 30.11.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान (15600-39100 ग्रेड पे० 6600)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (15600-39100 ग्रेड पे० 6600)
 (घ) वेतन 33434/-
 (ङ) मूल पेंशन 8434/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 3373/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 5061/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर 8434/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 5085/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 68 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स 11
 (ख) निर्धारित वेतन 88400/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 44200/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 44200/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 3373/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 40827/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 26520/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या 1483 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2874 / 06-07
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेवा, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री जगन्नाथ बाजपेयी, सं०नि० अवर अभियन्ता, ई-46/सी-1, एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(लेखाधिकारी पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4251/08-09

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सभापति शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सभापति शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3848 दिनांक 18.09.2008
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7395/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2958/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4437/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	7395/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4455/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2958/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66592/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69530/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1484 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4251/08-09

दिनांक: 22/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. श्री सभापति शुक्ला, से०नि० अवर अभियन्ता, मो० सिद्धार्थनगर, पोस्ट-शिवपुर गोरखपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2007/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2116 दिनांक 05.03.2005
(ग) जन्मतिथि	: 23.11.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती अंशा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 20.07.1945
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : 30.11.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ) वेतन | : 17750/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : 6623/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : 2249/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : 3374/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 3390/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2249/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 65251/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2007/04-05
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 22/11/18

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

- अधिसूची अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, खुर्जा बुलन्दशहर।
- श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, 623 न्यू शिवपुरी, किला रोड, गली न० 6, खुर्जा बुलन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
 (मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2804/06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तैयब हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तैयब हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3023 दिनांक 17.10.2006
(ग) जन्मतिथि	15.08.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर जहाँ
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.09.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.08.2005
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान 16400-20000
- (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
- (घ) वेतन 20000/-
- (ङ) मूल पेंशन 9987/-
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग 3994/-
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 5993/-
- (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर -
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 6109/-
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
- (क) पेमेंटिक्स 13
- (ख) निर्धारित वेतन 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
- (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 69550/-
- (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में -
- (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन -
- (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 69550/-
- (ङ) राशिकृत पेंशन 3994/-
- (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 65556/-
- (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) लागू नहीं
- (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 41730/-
- (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

1485

संख्या / मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2804/06-07 दिनांक: 22/11/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड, मझोला मुरादाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
4. श्री तैयब हसन, से०मि० अवर अभियन्ता, भीहल्ला नवाब पुरा, एकता गली मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(Signature)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) जिला कोषागार, मुरादाबाद

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1729/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इस्लामुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इस्लामुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1929 दिनांक 18.08.2004
(ग) जन्मतिथि	01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अरुन्ती बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.08.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	6560/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2624/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3936/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा लिखित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2624/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	64876/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1729/04-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र० ज० वि० लि०, 195-पटेल नगर, मुजफ्फरनगर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री इस्लामुद्दीन, से० नि० अवर अभियन्ता, 19, शकूर नगर गली नं०-1 लिखाड़ी रोड, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/770/98-99

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द्र सकसैना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेश चन्द्र सकसैना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	886 दिनांक 26.04.1999
(ग) जन्मतिथि	02.06.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरनसता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(8550-13500)
(घ) वेतन	9925/-
(ङ) मूल पेंशन	4620/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1848/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2772/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	86 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	9
(ख) निर्धारित वेतन	81500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	30750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	30750/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	18450/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 22/11/18

संख्या 1492 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/770/98-99
प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरौहा को सेवानिवृत्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री महेश चन्द्र सकसैना, से०अभि० अवर अभियन्ता, बी०-7, फेन्डस कालोनी, चन्द्र नगर, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
22/11/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4171/08-09 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3525 दिनांक 13.04.2008
(ग) जन्मतिथि	:	18.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीना श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(10650-15200)/(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6514/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2605/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3909/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	6514/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क/ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2605/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62945/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1495 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4171/08-09
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 28/11/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 557/400/19, सुजानपुरा, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा) 22/11/18

(सचिव/अधीक्षारी (पेंशन))

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2732/06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नत्थूलाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नत्थूलाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- 1.
2. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2940 दिनांक 28.08.2006
(ग) जन्मतिथि	01.05.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कामिनी अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.12.1951
3.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.04.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(37400-67000 ग्रे०पी० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रे०पी० 8900)
(घ) वेतन	53600/-
(ङ) मूल पेंशन	9645/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3858/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	5787/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	9645/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	5817/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
4. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
5. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3858/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65692/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
6. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2732/06-07

दिनांक: 22/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, क्षेत्रीय विद्युत भार नियन्त्रणालय, 400 कै०वी० उपकेंद्र परिसर, मझोला-मुरादाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
4. श्री नत्थूलाल अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-125, दीनदयाल नगर फेज-द्वितीय, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1500 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6096 / 2000-01

दिनांक: 22/10/18

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री माया शंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री माया शंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5123 दिनांक 08.08.2014
(ग) जन्मतिथि	05.06.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रजनी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.09.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
(ख) तत्समय लागू वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)
(घ) वेतन
(ङ) मूल पेंशन
(च) पेंशन का राशिकृत भाग
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

30.06.2010	छठवाँ वेतनमान
(37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
51440 + 8900 = 60340/-	
30170/-	
7582/-	
22588/-	
30170/-	
18102/-	
66 छमाही	
3. दिनांक 01.01.2016 को परिलेखीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	156600/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	7582/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	70718/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	78300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	46900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1500 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6096 / 14-15 दिनांक:
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री माया शंकर श्रीवास्तव, सं०नि० अवर अभियन्ता, 12/684, इन्दिरा नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर हम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 689/98-99

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती चारु चन्द्रिका पन्त पत्नी स्व० उपेन्द्र पन्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती चारु चन्द्रिका पन्त पत्नी स्व० उपेन्द्र पन्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	795 दिनांक 08.10.1998
(ग) जन्मतिथि	02.05.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चारु चन्द्रिका पन्त
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1954
2. (क) मृत्यु तिथि	28.02.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 पे०पे० 8900)
(घ) वेतन	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	714/-
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-	52 छमाही
(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	-
(ङ) राशिकृत पेंशन	-
(ध) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	40500/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ब) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

1502
 संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 689/98-99

दिनांक:

23/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशाली अभियन्ता, मु०वि०वि०नि०लि०, प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. श्रीमती चारु चन्द्रिका पन्त पत्नी स्व० उपेन्द्र पन्त, सं०नि० अवर अभियन्ता, एल-1/160, सेक्टर-जी, एल०डी०ए० कानोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा) 23/10/18

(लेखाधिकारी पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 782 / 99-2000

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुहम्मद महमूद कादरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुहम्मद महमूद कादरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
	(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
	(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	901 दिनांक 03.06.1999
	(ग) जन्मतिथि	01.09.1940
	(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जीनेत खातून
	(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.08.1948
2.	(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.1998
	(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550-13500
	(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(15600-39100 ग्रेड पे० 5400)
	(घ) वेतन	10200/-
	(ङ) मूल पेंशन	5032/-
	(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2012/-
	(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3020/-
	(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
	(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3060/-
	(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
3.	दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-	
	(क) पेमेंटिक्स	10
	(ख) निर्धारित वेतन	63100/-
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-	
	(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	31550/-
	(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
	(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
	(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	31550/-
	(ङ) राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित
	(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	31550/-
	(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
	(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	18930/-
	(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
5.	कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।	

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 23/11/18

संख्या 1583 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 782 / 99-2000

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, म०वि०वि०नि०लि०, प्रधान कार्यालय, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री मुहम्मद महमूद कादरी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी किशोर विहार कालोनी, गेट न०-1 कैम्पबेल रोड लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइड ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6132/14-15 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोण्डा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पारस नाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पारस नाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवायता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5169 दिनांक 06.08.2014
(ग) जन्मतिथि	:	31.12.1957
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1964
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	:	28190 + 6600 = 34790
(ङ) मूल पेंशन	:	17395/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6958/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10437/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17395/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10437/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6958/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38192/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दिनांक 31.12.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6132/14-15 दिनांक: 23/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोण्डा को सेवापुरतिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री पारस नाथ पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्रा०-मवाजितपुर, राजाफार्म, पोस्ट- मसकनवा, जिला गोण्डा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2698/06-07

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम बली सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम बली सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
	(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
	(ख) पी0पी0ओ संख्या एवं दिनांक	2906 दिनांक 03.08.2006
	(ग) जन्मतिथि	12.07.1948
	(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला देवी
	(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.	(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2006
	(ख) तत्समय लागू वेतनमान	10650-15200
	(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(15600-39100 ग्रेड पे0. 6600)
	(घ) वेतन	33440/-
	(ङ) मूल पेंशन	16720/-
	(घ) पेंशन का राशिकृत भाग	3300/-
	(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	13420/-
	(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16720/-
	(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10032/-
	(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
3.	दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-	
	(क) पैमेटिक्स	11
	(ख) निर्धारित वेतन	88400/-
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-	
	(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	44200/-
	(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
	(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
	(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	44200/-
	(ङ) राशिकृत पेंशन	3300/-
	(घ) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	40900/-
	(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
	(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26520/-
	(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो को भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इत सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 23/10/18

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2698/06-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी(मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री राम बली सिंह, सं०नि० आशुलिपिक, डी-78 केशव बिहार कल्याणपुर, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
23/10

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कारपोरेशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2091/04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमानाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमानाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2174 दिनांक 29.04.2005
(ग) जन्मतिथि	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सौनमती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6945/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2778/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4167/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेनैटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2778/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	64665/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1109 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2091/04-05

दिनांक: 22/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री उमानाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 116(प्रथम) बिलन्द पुर, बांस गांव कालोनी गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
 (मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 252 / 2000-01

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नत्थू प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नत्थू प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	285 दिनांक 05.12.2000
(ग) जन्मतिथि	01.05.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अशा वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
30.04.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान
(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)
(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन
19550/-
(ङ) मूल पेंशन
6479/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग
2591/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
3888/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर
-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा
66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स
13
(ख) निर्धारित वेतन
139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)
69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में
-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)
69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन
2591/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये
66959/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)
-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)
-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1516 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 252 / 2000-01
प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, झांसी।
4. श्री नत्थू प्रसाद वर्मा, से०अभि० अवर अभियन्ता, 49/1ए बड़ा गौव गेट बाहर डडियापुरा, झांसी।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2541/06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 उरई(जालौन)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बालकराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बालकराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्ता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2761 दिनांक 12.05.2006
(ग) जन्मतिथि	06.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमद्रा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.10.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
 (घ) वेतन 17750/-
 (ङ) मूल पेंशन 9865/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 3946/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 5919/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 5663/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स 13
 (ख) निर्धारित वेतन 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 67500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 3946/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 63554/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/01/18

संख्या 1518 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2541/06-07

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री बालकराम, से०भि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-छौंक कालपी, जिला-जालौन।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लॉयज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

(Handwritten Signature)
 23/01/18

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2003/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई (जालौन)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2103 दिनांक 28.02.2005
(ग) जन्मतिथि	08.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमिलानी पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
 (घ) वेतन : 19550/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6463/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2585/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3878/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3878/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2585/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66965/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1320 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2003/04-05

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-142 दीनदयाल नगर सीपरी बाजार झांसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 3047 / 07-08

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री लाला राम कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री लाला राम कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3275 दिनांक 28.06.2007
(ग) जन्मतिथि	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेम कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1942
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	10882/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	4352/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6530/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदोषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	68394/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	68394/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4352/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	64042/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 3047 / 07-08
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 24/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर कानपुर।
- श्री लाला राम कुशवाहा, से०नि० अवर अभियन्ता, के-368, यशोदा नगर, कानपुर नगर-208011।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4214/08-09

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्रवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्द्रवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3797 दिनांक 25.06.2008
(ग) जन्मतिथि	05.02.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रकला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
28.02.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान
(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)
(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन
55210/-
(ङ) मूल पेंशन
10425/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग
4170/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
6255/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर
10425/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
6255/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा
66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स
13
(ख) निर्धारित वेतन
143300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)
71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में
-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)
71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन
4170/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये
67480/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)
लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)
-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1523 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4214/08-09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द(सहारनपुर) को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
4. श्री चन्द्रवीर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, 32 न्यू प्रभात नगर, गली न०-7 मेरठ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
23/10

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1023/02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई(जालौन)।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स

(ख) निर्धारित वेतन

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1525 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1023/02-03

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, डेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, मुन्ना लाल पावर हाउस, ग्वालियर रोड, झौंसी को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।

4. श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, से०भि० अवर अभियन्ता, 3381, शिवपुरी उरई, सेवा योजन कार्यालय के पास उरई।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1145/02-03

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1192 दिनांक 28.03.2003
(ग) जन्मतिथि	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000) रैंड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	5884/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2353/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3531/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	56 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2353/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63197/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1526 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1145/02-03

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, इमीरपुर कौ सेवासुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
4. श्री महेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 175, मुम्बई रोड, राजेन्द्र नगर उरई।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
23/10/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 970 / 02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तेज सिंह निरंजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तेज सिंह निरंजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1036 दिनांक 06.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	03.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजेश्वरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5643/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2257/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3386/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62387/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2257/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये	:	63293/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1527 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 970 / 02-03

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता(मु०), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम, पारीछा ताप विद्युत परियोजना पारीछा झोंसी को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम झांसी।
- श्री तेज सिंह निरंजन, से०नि० अवर अभियन्ता, 871/2ए शिवाजी नगर सी०पी०पैलेस के पास झांसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1656/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	1727 दिनांक 13.04.2004
(ग) जन्मतिथि	01.12.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 30.11.2008
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान (16400-20000)
- (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
- (घ) वेतन 19100/-
- (ङ) मूल पेंशन 5927/-
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग 2370/-
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 3557/-
- (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर लागू नहीं
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 3585/-
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2370/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65130/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1656/04-05

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यालया लखनऊ, नवीन परिसर, विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर कानपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर कानपुर।
4. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, 172 संजय गांधी नगर नौबस्ता, मो० कानपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेंटर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3029/07-08

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई(जालौन)।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर शरण चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शंकर शरण चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3281 दिनांक 07.06.2007
(ग) जन्मतिथि	04.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेश चतुर्वेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 31.07.2008 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | (37400-67000 ग्रेड पे० 8900) |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | (37400-67000 ग्रेड पे० 8900) |
| (घ) वेतन | 55210/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 10913/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 4365/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 6548/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 6548/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	143300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4365/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	67285/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1320/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3029/07-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, मुन्ना लाल पावर हाउस, न्वालियर रोड, झौंसी को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई(जालौन)।
- श्री शंकर शरण चतुर्वेदी, सं०नि० अवर अभियन्ता, नि०मु० 279, रामचन्द्रा, कालपी जनपद-जालौन।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5277/13-14

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सत्यपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सत्यपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5018 दिनांक 31.12.2013
(ग) जन्मतिथि	20.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
(ख) तत्समय लागू वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)
(घ) वेतन
(ङ) मूल पेंशन
(च) पेंशन का राशिकृत भाग
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा
दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स
(ख) निर्धारित वेतन
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)
(ङ) राशिकृत पेंशन
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का गुणतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5277/13-14

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय 33/11 केवी विद्युत उपस्थान रामपुरा शिकारपुर रोड, बुलन्दशहर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. श्री सत्यपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ई-198 पटेलनगर, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2361/05-06

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम बरन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम बरन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2588 दिनांक 31.01.2005
(ग) जन्मतिथि	03.10.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुखलाल देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.10.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6634/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2653/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3981/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4365/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 61 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) मैट्रिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 1391000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 64282/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2653/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 62897/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2361/05-06

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, चैब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. श्री राम बरन यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 289 कृष्णा नगर कालोनी देवकाली बेनीगंज रोड, देवकाली, फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

23/10/18

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1067 / 02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इकबाल अहमद खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इकबाल अहमद खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1095 दिनांक 03.02.2003
(ग) जन्मतिथि	01.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किशोर जहाँ
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.01.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	5975/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2390/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3585/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिलेखित लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2390/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	85110/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या 1535 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1067 / 02-03

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
- श्री इकबाल अहमद खाँ, सं०भि० अवर अभियन्ता, ग्राम ब पोस्ट- मञ्जोला, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
23/10/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4494 / 09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुहम्मद याकूब, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुहम्मद याकूब, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4085 दिनांक 01.02.2010
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती यतीमुनिता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
 2. (क) सेवानिवृत्त तिथि : 31.01.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 2600-4000(8550-13500)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (15600-39100 ग्रेड पे 6600)
 (घ) वेतन : 35410/-
 (ङ) मूल पेंशन : 17705/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7082/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10623/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 17705/- 03.01.2017 तक
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10623/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
 3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 93000/-
 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 46500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7082/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39418/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 46500/- दि० 03.01.2017 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27900/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 24/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4494 / 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी(मु०), कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हा०), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री मुहम्मद याकूब, से०नि० कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०), जी-32, संजय गांधी पुरम, फाँजाबाद रोड, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6061/14-15

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कमलकान्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कमलकान्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5103 दिनांक 05.05.2014
(ग) जन्मतिथि	05.12.1963
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशारानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(9300-34800 पी०पी० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(9300-34800 पी०पी० 6600)
(घ) वेतन	34140/-
(ङ) मूल पेंशन	17070/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6828/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10242/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17070/- दि० 05.12.2018 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10242/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6828/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	38322/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	45150/- दि० 5.12.2020
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6061/14-15
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 24/10/18

- पंजीकृत- 1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड(महानगर), डी०एन० साह पार्क, कपूरथला, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
 3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 4. श्री कमलकान्त, से०नि० अवर अभियन्ता, 538क/200 श्रीपुरम् त्रिवेणीनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020।
 5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
 (मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)